

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम०के०सिंह

### सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1561-एक/2009 - विरुद्ध आदेश  
 दिनांक 9-11-2009 - पारित व्यारा - अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर - प्रकरण क्रमांक 457/2007-08 अपील

किशोर सिंह पुत्र प्यारेलाल  
 ग्राम बजावन तहसील मुंगावली  
 जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश  
 विरुद्ध

---आवेदक

श्रीमती लाङ्कुँअर वाई पत्नि  
 महाराज सिंह ग्राम पठारी  
 तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर

---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री जितेन्द्र त्यागी)

(अनावेदक के अभिभाषक श्रीआर०बी०शर्मा)

### आ दे श

(आज दिनांक 18-७-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 457/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-11-2009 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारोंश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार मुंगावली को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कोमल सिंह (निःसंतान) की मृत्यु होने से उनके नाम की कृषि भूमि पर नामान्तरण की मांग की। आवेदक ने भी बसीयत प्रस्तुत कर मृतक कोमल सिंह की भूमि पर नामान्तरण की मांग की। तहसीलदार मुंगावली ने प्रकरण क्रमांक 26-अ-6/2004-05 पंजीबद्ध किया तथा पक्षकारों की

सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 29.9.2006 पारित करके सजरा खानदान अनुसार मृतक के वारिसों का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विलम्ब अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के समक्ष दो अपील क्रमांक 8 एंव 9/06-07 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 27-5-2008 से मृतक की समस्त भूमि पर आवेदक का नामान्तरण स्वीकार किया गया। इस आदेश के विलम्ब अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 457/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-11-2009 से मृतक कोमलसिंह के निःसंतान फोत होने एंव फर्जी बसीयतें पाये जाने से मृतक खातेदार की समस्त भूमियाँ म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 177 के अंतर्गत शासकीय घोषित की गई। इसी आदेश के विलम्ब यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि तहसीलदार द्वारा धारा 164 के प्रावधानों को देखे बिना आदेश पारित किया है। आवेदक वर्ग-9 का एकमात्र वारिस है। पटवारी रिपोर्ट में जिन पूलवाई, जानकीवाई, लाडोवाई व हरकों के नाम बताये हैं यह धारा 164 के अनुसार वारिस नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि संहिता की धारा 177 तभी लागू होती है जब कोई व्यक्ति वारिसानों के बिना मर जाय, तब तहसीलदार ऐसे व्यक्ति की भूमि का कब्जा लेगा और एक वर्ष की कालावधि के लिये पटटे पर देगा। जबकि मृतक कोमलसिंह का आवेदक विधिक वारिस है। उन्होंने अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक

(JM)

R/M

9-11-2009 को निरस्त कर आवेदक के हित में निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की। अनावेदक के अभिभाषक ने बताया कि मृतक कोमलसिंह की अनावेदक सगी भतीजी है मृतक कोमलसिंह अनावेदक के काका थे जिन्होंने उसके पति महाराजसिंह के हित में 21,000 रु. लेकर विक्रय अनुबंध पत्र भी संपादित कर दिया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने अनुबंध पत्र की अनदेखी की है।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि खातेदार कोमल सिंह निःसंतान मरा है एंव उसकी कृषि भूमि पर आवेदक एंव अनावेदक मृतक खातेदार के सम्बन्धी होना बताकर अपना अपना स्वत्व पहुंचना बता रहे हैं। अपर आयुक्त, ज्वालियर संभाग, ज्वालियर के आदेश दिनांक 9-11-2009 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने आदेश के पद-6 में इस प्रकार निष्कर्ष दिया है :-

“अतएव उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत अपील औंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के समस्त आदेश अपास्त किये जाते हैं और कोमल सिंह के स्वामित्व की समस्त भूमियों को शासकीय घोषित किया जाता है। पक्षकारों के द्वारा स्वत्व का निर्धारण कराये जाने के बाद तदनुसार अमल/नामान्तरण की कार्यवाही की जावे।”

प्रकरण में आवेदक बसीयत के आधार पर एंव अनावेदक मृतक खातेदार की भतीजी होने तथा उसके पति के पक्ष में विक्रय अनुबंध होने से मृतक कोमल सिंह की भूमि में स्वत्व पहुंचना बता रहे हैं, जिसके कारण विद्वान अपर आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 9-11-09 में निकाला गया निष्कर्ष कि “पक्षकारों के द्वारा स्वत्व

(M)

R/S

का निर्धारण कराये जाने के बाद तदनुसार अमल/नामान्तरण की कार्यवाही की जावे ” उचित प्रतीत होता है क्योंकि स्वत्व के बाद का निराकरण करने की शक्तियाँ राजस्व व्यायालय को नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 457/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-11-2009 उचित पाये जाने यथावत् रखा जाता है एंव निगरानी निरस्त की जाती है।



(एम0क0सिंह)  
सदस्य

राजस्व मण्डल  
मध्य प्रदेश ग्वालियर

